



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण कं०..... R-208-III/14 सन्

रमेश राजपूत तनय बालकिशन राजपूत
नि० वार्ड नं. 25 पुराना 29 महाराष्ट्रीयन मार्ग
छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. -----

आवेदक

बनाम

- 1- जगन्नाथ वासुदेव करकरे
- 2- विनायक वासुदेव करकरे तनय श्री वासुदेव गंगाधर करकरे
निवासीगण वार्ड नं. 25 पुराना 29 महाराष्ट्रीयन मार्ग
छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. ----- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय
सागर संभाग सागर निगरानी प्र.क्रं. 169/अ-6/ 2008-09
में पारित आदेश दिनांक 24.10.2013 के विरुद्ध।
अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.सं. 1959

Handwritten notes:
रमेश राजपूत
छतरपुर

Handwritten notes:
R/Am.
9/11/14
2003

आज प्राप्त

Handwritten notes:
13/11/14

आवेदक निम्नलिखित विनम्र निवेदन सादर प्रस्तुत करता है :-

- 1- यह कि आवेदक द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, छतरपुर के न्यायालय में लंबित प्रकरण अन्तर्गत धारा 248 म.प्र.भू.सं. 1959 प्रकरण कं. 58 अ-68/97-98 में हितबद्ध पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश 1 नियम-10 जा.दी. के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार महोदय द्वारा तर्क सुने बिना एवं आवेदक को अनावेदकगण को जबाव की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये बिना मनमाने तरीके से आदेश दिनांक 7.8.2007 को पारित कर दिया था तथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया था । जबकि आवेदक उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता नहीं था बल्कि हितबद्ध पक्षकार था, और इसी आधार पर आवेदक द्वारा पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था ।
- 2- यह कि अनावेदकगण द्वारा शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमण करके दीवार

Handwritten mark:

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 208-तीन/14

जिला- छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिषेक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	<p>आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई । कोई उपस्थित नहीं । अतः वह लगभग 12 पेशियों से अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रुचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	